

①

कार्यालय अधिष्ठाता
गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०)

क्रमांक १२१५-१६/स्टेनो/२०१७

ग्वालियर दिनांक १६.१३.१७


प्रति,

समस्त शाखा प्रभारी
गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर

विषय सूचना का अधिकार अधिनियम (आर०टी०आई०) के अंतर्गत चाही गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराने बावत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आर०टी०आई०) के अंतर्गत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी शाखाओं की ओर से सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को समय पर प्राप्त न होने के कारण आवेदक द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा आर०टी०आई० से संबंधित जब भी कोई जानकारी आपकी शाखा से चाही जाती है तो उस संबंध में ३ दिवस की समय-सीमा में जानकारी एकत्रित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चाही गई जानकारी समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में आर०टी०आई० कार्य में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।


अधिष्ठाता

गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर, (म०प्र०)

आवक नं. आर.टी.आई. 106
दिनांक 16.3.17